



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26052026-272879
CG-MH-E-26052026-272879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2555]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948

No. 2555]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 21 मई, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 37A के तहत

का.आ. 2647(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 (वर्ष 1989 का 24वां) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत "जालना से खामगांव के बीच नई रेल लाइन (162 Kms)" "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में रेलवे परियोजना को भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के जालना और खामगांव जिले में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु, विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा.सं. G197/Jalna-Khamgaon Project (162 Kms)/SRP/37A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAY**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 21st May, 2026

Under clause 37A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2647(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby notifies “**New BG Line between Jalna-Khamgaon Project (162 Kms)**” as Railway project under Central Railway, under “**Special Railway Project**” for acquisition of land in **Jalna & Khamgaon District** in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No.: G197/Jalna-Khamgaon Project (162 Kms)/SRP/37A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Admn. Officer (Construction)